

न्यायालय भूमि सुधार उप- समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 39/2021-22

आदेश की कं०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
1/02/22	आवेदक (1) मनोज तोपनो (2) तुरिया तोपनो दोनों पिता स्व० करमा तोपनो जाति मुण्डा ग्राम काराकेल पोस्ट पोकला थाना कामडारा, जिला गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी। <table><tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr><tr><td>कामडारा</td><td>73</td><td>21</td><td>402</td><td>1.18 एकड़ में से 0.05 एकड़</td><td></td></tr></table> कुल 0.05 एकड़ (पाँच डिसमील) प्लॉट सं० 402 का चौहदी :- उत्तर में – पक्की सड़क, दक्षिण में – इसी प्लॉट का अंश, पूरब में – पक्की सड़क, पश्चिम में –नीज बिक्रेता। <u>जमीन विक्रेता का विवरणी</u> (1) मनोज तोपनो (2) तुरिया तोपनो पिता स्व० करमा तोपनो जाति मुण्डा ग्राम काराकेल पोस्ट पोकला थाना कामडारा, जिला गुमला । <u>जमीन क्रेता का विवरणी</u> रोयल बरला, पिता स्व० थोमस बरला जाति मुण्डा, ग्राम— रायबा, थाना – कामडारा जिला गुमला । आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता रोयल बरला, पिता स्व० थोमस बरला जाति मुण्डा, ग्राम— रायबा, थाना – कामडारा जिला गुमला से राशि 2,50,000 /—(दो लाख पचास हजार)रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रुपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, कामडारा को आवेदन भेजते हुए जाँच	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	कामडारा	73	21	402	1.18 एकड़ में से 0.05 एकड़		
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म									
कामडारा	73	21	402	1.18 एकड़ में से 0.05 एकड़										



प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, कामडारा के कार्यालय के पत्रांक 15 दिनांक 03/012/2021 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, कामडारा के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक (1) मनोज तोपनो (2) तुरिया तोपनो पिता स्व० करमा तोपनो जाति मुण्डा ग्राम काराकेल पोस्ट पोकला थाना कामडारा जिला-गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा ~~हस्ताक्षर~~ प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित




भूमि सुधार उप –समाहर्ता
बसिया (गुमला)।


भूमि सुधार उप – समाहर्ता
बसिया (गुमला)।